

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मई 2015—वैशाख 23, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. एफ-बी-1-03-2015-2-पांच-(12).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2, सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुज्ञप्त परिसर में पदस्थ आबकारी कर्मचारीवृन्द को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में या सामान्य कार्य के घंटों से अधिक कार्य करने पर उनके वेतन के दोगुने के बराबर अतिकालिक भत्ता संदत्त किया जाएगा. सामान्य कार्य के घंटे 10.30 बजे सुबह से 5.30 बजे सायं तक होंगे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. बी-1-03-2015-2-पांच-(12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-03-2015-2-पांच-(12), दिनांक 13 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2015

No. F-B-1-03-2015-2-V-(12).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rule, namely :—

AMENDMENT

In the said rule, in rule 6, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(5) The Excise staff posted in licensed premises working on public holidays or beyond normal working hours shall be paid overtime allowance equivalent to double the salary of the staff by the licensee. Normal working hours shall be from 10.30 O'clock in the morning to 5:30 O'clock in the evening.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. एफ-बी-1-03-2015-2-पांच-(13).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2, सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 4 में, उपनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(9) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुज्ञप्त परिसर में पदस्थ आबकारी कर्मचारीवृन्द को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में या सामान्य कार्य के घंटों से अधिक कार्य करने पर उनके वेतन के दोगुने के बराबर अतिकालिक भत्ता संदत्त किया जाएगा. सामान्य कार्य के घंटे 10.30 बजे सुबह से 5.30 बजे सायं तक होंगे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. बी-1-03-2015-2-पांच-(13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-03-2015-2-पांच-(13), दिनांक 13 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2015

No. F-B-1-03-2015-2-V-(13).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and cluse (f) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rule, 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4, for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(9) The Excise staff posted in licensed premises working on public holidays or beyond normal working hours shall be paid overtime allowance equivalent to double the salary of the staff by the licensee. Normal working hours shall be from 10.30 O: clock in the morning to 5:30 O'clock in the evening.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy.Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. एफ-बी-1-03-2015-2-पांच-(14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम,, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 4 में, उप-नियम (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(15) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुज्ञप्त परिसर में पदस्थ आबकारी कर्मचारीवृन्द को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में या सामान्य कार्य के घंटों से अधिक कार्य करने पर उनके वेतन के दोगुने के बराबर अतिकालिक भत्ता संदत्त किया जाएगा. सामान्य कार्य के घंटे 10: 30 बजे सुबह से 5: 30 बजे सायं तक होंगे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. बी-1-03-2015-2-पांच-(14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-03-2015-2-पांच-(14), दिनांक 13 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2015

No. F-B-1-03-2015-2-V-(14).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rule, 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rule, in rule 4, after sub-rule (14), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(15) The Excise staff posted in licensed premises working on public holidays or beyond normal working hours shall be paid overtime allowance equivalent to double the salary of the staff by the licensee. Normal working hours shall be from 10:30 O'clock in the morning to 5:30 O'clock in the evening.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy.Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. एफ-बी-1-03-2015-2-पांच-(15).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 18 में, उपनियम (20) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(21) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुज्ञप्त परिसर में पदस्थ आबकारी कर्मचारीवृन्द को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में या सामान्य कार्य के घंटों से अधिक कार्य करने पर उनके वेतन के दोगुने के बराबर अतिकालिक भत्ता संदत्त किया जाएगा. सामान्य कार्य के घंटे 10:30 बजे सुबह से 5:30 बजे सायं तक होंगे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

क्र. बी-1-03-2015-2-पांच-(15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-03-2015-2-पांच-(15), दिनांक 13 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2015

No. F-B-1-03-2015-2-V-(15).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and Clause (f) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rule, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rule, in rule 18, after sub-rule (20), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(21) The Excise staff posted in licensed premises working on public holidays or beyond normal working hours shall be paid overtime allowance equivalent to double the salary of the staff by the licensee. Normal working hours shall be from 10:30 O'clock in the morning to 5:30 O'clock in the evening.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy.Secy.